हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन-भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों सम्बन्धी सामान्य सूचना)

15 नवम्बर, 2018/24 कार्तिक, 1940 (शक्)

संख्या : 93

सदन में उपस्थिति

संविधान के अनुच्छेद 190(4) के अनुसार यदि राज्य विधान-मण्डल का सदस्य सदन की आज्ञा के बिना सभी बैठकों से 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उस अवस्था में सदन में उसका स्थान खाली घोषित हो जाता है। इसलिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर/अभिलेख रखना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान "हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973" के नियम, 288 तथा 289 की ओर आकर्षित किया जाता है। माननीय सदस्यों को निर्धारित दिन के लिए सदन की बैठक स्थगित होने से पूर्व अपनी उपस्थिति "उपस्थिति रजिस्टर" में अवश्य अंकित करनी होगी। उपस्थिति का रजिस्टर सदन की बैठक प्रारम्भ होने से एक घण्टा पहले सदन की पक्ष एवं विपक्ष की लॉबी में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की बैठक में उपस्थित होने पर और स्थगन से पहले निर्धारित रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दें। आगामी दिन हस्ताक्षर करने सम्भव नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त सदन में माननीय सदस्य अपने बैठने के स्थान पर touch screen को Login करके भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे ।

यशपाल शर्मा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

BULLETIN—PART-II

(General Information relating to Parliamentary and Other Matters)

15th November, 2018 /24th Karthik, 1940 (Saka)

No. 93

ATTENDANCE IN THE HOUSE

Article 190 (4) of the Constitution provides that if for a period of sixty days a member of the Legislature of a State is without permission of the House remains absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant. In view of the specific provision that has been made in the Constitution, it is necessary to maintain an accurate register of attendance of Members.

Attention is invited to rule 288 and 289 of the "Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973," under which the Hon'ble Members have to mark their attendance in the register before the meeting of the House is adjourned for the day. The attendance register is kept daily one hour before the commencement of sitting in the ruling and opposition lobbies of the House.

Members are requested to sign the attendance register when they attend a meeting of the House before it is adjourned for the day. It would not be possible to mark presence on the next day. Besides this, member may mark his presence by login the touch screen installed on his table in the House.

.

Yash Paul Sharma,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.